

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275189
SG-DL-E-04082026-275189असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2026/श्रावण 9, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 141
No. 211]	DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2026/SHRAVAN 9, 1948	[N. C. T. D. No. 141

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(दिल्ली फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी काउंसिल)

अधिसूचना

दिल्ली, 29 जुलाई, 2026

फा. सं. डीएचएंडएफडब्ल्यू/109/2026-परिषद्-स्वा0परि0कल्या0 विभाग/1582.— दिल्ली फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी काउंसिल अधिनियम, 1997 (1997 का दिल्ली अधिनियम संख्या 07) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी काउंसिल नियमावली, 2014 के नियम संख्या 15.6 के एक भाग में संशोधन करते हैं, जो निम्नानुसार हैं :-

नियम 15.6 में, "देश के अन्य राज्यों से अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्ति, जिनका संबंधित राज्य पीटीओटी परिषदों (जहां भी ये मौजूद हों) के साथ वैधानिक पंजीकरण है, वे पूर्व परिषद् से एनओसी प्राप्त करने के बाद डीसीपीटीओटी के साथ पंजीकृत हो सकते हैं" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

देश के अन्य राज्यों से अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्ति, जिनका संबंधित राज्य फिजियोथेरेपी/ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषदों (जहां भी ये मौजूद हों) के साथ वैधानिक पंजीकरण है, संबंधित व्यक्ति द्वारा स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करने के बाद दिल्ली फिजियोथेरेपी एवं

ऑक्यूपेशनल थेरेपी काउंसिल के साथ पंजीकरण के लिए पात्र होंगे तथा दिल्ली फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी काउंसिल को कोई अतिरिक्त वचनबद्धता/अनुमोदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

डॉ. राजेश कुमार, उप सचिव

**DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Delhi Council for Physiotherapy and Occupational Therapy)**

NOTIFICATION

Delhi, the 29th July, 2026

F. No. DH&FW/109/2026-COUN-HFW Department/1582. — DH&FW /109/ 2026 - COUN- HFW Department/1582:— In exercise of the powers conferred by Section 50 of The Delhi Council for Physiotherapy and Occupational Therapy Act, 1997 (Delhi Act No. 07 of 1997), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to amend part of Rule No. 15.6 of the Delhi Council for Physiotherapy and Occupational Therapy Rules, 2014, as under:—

In Rule 15.6, for the words “Persons qualifying from other states of the country having statutory registration with the respective State Councils for PTOT (wherever these exist) can be registered with DCPTOT after obtaining the NOC from the previous Council”, the following shall be substituted, namely:—

“Persons qualifying from other States of the Country having statutory registration with the respective State Councils for Physiotherapy/Occupational Therapy (wherever these exist) shall be eligible for registration with the Delhi Council for Physiotherapy and Occupational Therapy after submission of a self-certification by the person concerned and no additional undertaking/approval is required to be submitted to the Delhi Council for Physiotherapy and Occupational Therapy.”

By Order and in the Name of Lt. Governor
Of The National Capital Territory of Delhi

RAJESH KUMAR, Dy. Secy.